



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24102025-267091
CG-DL-E-24102025-267091

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4693]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2025/कार्तिक 2, 1947

No. 4693]

NEW DELHI, FRIDAY, 24 OCTOBER, 2025/KARTIKA 2, 1947

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4837(अ).— निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा श्री पंकज शर्मा के स्थान पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक डॉ. अभिजीत फुकाँन, आर्थिक सलाहकार, वित्तीय सेवाएं विभाग को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित करती है।

[फा. सं. 08/01/2023-बीओ.II]

मानसा गंगोत्री काठा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2025.

S.O. 4837(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-Section (1) of section 6 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961), the Central Government

hereby nominates Dr Abhijit Phukon, Economic Advisor, Department of Financial Services as a Director on the Board of Directors of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) vice Shri Pankaj Sharma with immediate effect and until further orders.

[F. No. 08/01/2023-BO.II]

MANASA GANGOTRI KATA, Director